न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
187 / 2018	20.06.2018	26.02.2021

उनवान

1. जलदीप पुत्र राजेन्द्र पौत्र प्रभू जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. मु0 रोशनी पत्नी श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. रोशसिंह पुत्र प्रभू जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. सन्तोष पुत्री प्रभू पत्नी महावीर जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर हाल निवासी जाटूवास पो0 बिटवना तहसील रेवाडी हरि0।
3. सुमित्रा पुत्री प्रभू पत्नी रामाचन्द जाति जाट निवासी जाट बहरोड हाल निवासी जाटूवास पो0 बिटवाना तहसील रेवाडी हरि0।
4. बबली पुत्री प्रभू पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी जाट बहरोड हाल निवासी पनवाड तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6 उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावाः— इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुकमईतनाई दवामी

—: निर्णय :—

दिनांक :— 26.02.2021

उपस्थिति :—

1— श्री सरजीत कुमार, वकील वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:49 IST
Reason: SelfAttested

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है :—

कि आराजी हाल खसरा नम्बर 353 रकबा 0.20 है0 वाके [illegible] बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित है। जो आराजी [illegible] में विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 353 रकबा 0.20 है0, साबिक खसरा नम्बर 302 रकबा 2 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 303 रकबा 14 बिस्वा

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

सैटलमेट के दौरान भू प्रबंध विभाग द्वारा पैमूद किया गया है। उक्त विवादित आराजी मिन वादीगण के दादा/दादा ससुर प्रभू पुत्र हरनारायण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है, जो आराजी हम वादीगण को जरिये विरास्त प्राप्त हुयी है, तथा मिन वादीगण के दादा/ससुर प्रभू पुत्र हरनारायण के नाम का अंकन साबिक राजस्व रिर्कोड व सम्वत 2029 सैटलमेट के राजस्व रिर्कोड व सम्वत 2032 की जमाबन्दी में दर्ज रहा है तथा मौके पर मिन वादीगण आराजी काबिज काश्त है उक्त आराजी से प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण का पिता गेर वास्ता व गैर काबिज रहे है, जिनका आराजी से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नही है। खानदान सजरा मिन वादी वाद में वर्णीत है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सम्वत 2036 की जमाबन्दीयात तैयार करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून उक्त विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता प्रभू पुत्र श्योलाल के नाम का अंकन को हजफ कर दिया, जो अंकन राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खि़लाफ कानून व बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया है, इसलिए हम वादीगण उक्त गलत इन्द्राज को हजफ कराकर, अपने आपको विवादित आराजी का कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित कराकर, इसी प्रकार से राजस्व रिर्कोड में अपने नाम़ का अंकन दर्ज कराकर, राजस्व रिर्कोड दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती राजस्व रिर्कोड पेश किया जा रहा है। हम वादीगण अपने दादा/ससुर प्रभू पुत्र हरनारायण से जरिये विरास्त प्राप्त आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है तथा हम वादीगण को कभी राजस्व रिर्कोड देखने की आवश्यकता नही पडी, लेकिन अब दिनांक 13.05.2016 को हम वादीगण हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिर्कोड की नकल चाही तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी, जिसकी जानकरी होने पर सबिक रिर्कोड की नकल प्राप्त कर, प्रतिवादीगण से राजस्व रिर्कोड दुरूस्त कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे और अब दिनांक 10.06.2018 को राजस्व रिर्कोड दुरूस्त कराने से मना कर दिया तथा ऐलानिया धमकी दी है कि आराजी राजस्व रिर्कोड में हमारे नाम दर्ज है। तथा हम तुम्हे आराजी से बेदखल कर, कब्जा कर लेगे तथा आराजी को दिगर लोगो को मुन्तकिल कर देगे, बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है। विवादित आराजी मिन वादीगण की पैत्रिक आराजी रही है, जो आराजी हम वादीगण को अपने दादा/ससुर से जरिये विरास्त प्राप्त हुयी है, जिस पर हम वादीगण काबिज काश्त है, लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त आराजी खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज कर दिया तथाप्रतिवादीगण के पिता के फौत होने पर आराजी राजस्व रिर्कोड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी, आराजी मिन वादीगण की पैत्रिक होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेस ऑफ कन्वीनेंस मिन वादीगण के पक्ष [illegible] वो साबित है तथा यदि प्रतिवादीगण राजस्व रिर्कोड में [illegible] उठाकार, विवादित आराजी को खुर्द बुर्द कर [illegible] मिन वादीगण [illegible] नापूर्ती होने वाली क्षति होगी, जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार [illegible] आंकि जा सकेगी, चुकी हम वादीगण के हक व अधिकार कानून द्वारा रक्षित [illegible] इसलिए हम वादीगण अपने हक व अधिकारो की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु0 ई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा हु0 ई दवामी पेश किया जा रहा है। दावा में लिये बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांके 13.05.2016 को गलत इन्द्राज की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

होने व दिनांक 10.06.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिर्कोड दुरूस्त कराने से मना करने व आराजी बेचान करने की धमकी देने से पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि :–

(अ) हाल खसरा नम्बर 353 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर का हम वादीगण वादीगण को कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, व इसी प्रकार से राजस्व रिर्कोड में मिन वादीगण के नाम का अमल दरामद किया जाकर, राजस्व रिर्कोड मे दर्ज प्रतिवादीगण के नाम को हजफ किया जाकर राजस्व रिर्कोड दुरूस्त फरमाया जावे।

(ब) डिक्री हु0 ई0 दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो वाद पत्र के पैरा सं0 1 में वर्णीत आराजी को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादीगण को आराजी से बेदखलकर कब्जा करे, ना ही किसी भी प्रकार स`मिन वादीगण क काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे व ना ही मिन वादीगण को आराजी से बेदखल करे, ना ही मिन वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे व रिर्कोड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 4 व 6 उपस्थित नही हुए। बार–बार अवसर पैदान के उपरान्त पैरोकार सरकार के जबाब का अवसर समाप्त किया गया। वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2069–72 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2036 प्रदर्श–2, नकल जमबान्दी सम्वत 2032 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2028 प्रदर्श–4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5 पेश किये है जो शामिल मिसल है। वकील वादी की बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी मे उक्तानुसार अमल दरामद किये जाने का अभिकथन किया। वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र को उपरोक्तानुसार स्पष्ट रूप से साबित किये जाने की स्थिति में वादीगण के वाद का यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है एवं हाल खसरा नम्बर 353 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर रा[illegible]दीगण को कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त [illegible]राजी [illegible] प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 04 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर वा[illegible] के नाम का राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जा[illegible] प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिए हु0 ई0 दवा[illegible] है कि वे वादीगण के आराजी को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादीगण को आराजी से बेदखलकर कब्जा करे, ना ही किसी भी प्रकार से मिन वादीगण के

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:49 IST
Reason: SelfAttested

काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे व ना ही मिन वादीगण को आराजी से बेदखल करे, ना ही मिन वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे व रिर्कोड की यथास्थिति बनाये रखे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
187 / 2018	20.06.2018	26.02.2021

उनवान

1. जलदीप पुत्र राजेन्द्र पौत्र प्रभू जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. मु0 रोशनी पत्नी श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. रोशसिंह पुत्र प्रभू जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. सन्तोष पुत्री प्रभू पत्नी महावीर जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर हाल निवासी जाटूवास पो0 बिटवना तहसील रेवाडी हरि0।
3. सुमित्रा पुत्री प्रभू पत्नी रामाचन्द जाति जाट निवासी जाट बहरोड हाल निवासी जाटूवास पो0 बिटवाना जिला रेवाडी हरि0।
4. बबली पुत्री प्रभू पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी जाट बहरोड हाल निवासी पनवाड तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा:— इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुकमईतनाई दवामी

—: पर्चा डिक्री :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:49 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री सरजीत क[illegible]तिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.[illegible] को [illegible] अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटा[illegible] पेश होने [illegible]आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री कि[illegible] जाता है हाल खसरा नम्बर 353 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 का वादीगण को कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है,

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

व उक्त आराजी में प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 04 का नाम राजस्व रिर्कोड से हजफ कर वादीगण के नाम का राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिए हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के आराजी को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादीगण को आराजी से बेदखलकर कब्जा करे, ना ही किसी भी प्रकार से मिन वादीगण के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे व ना ही मिन वादीगण को आराजी से बेदखल करे, ना ही मिन वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे व रिर्कोड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 26.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

26/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:49 IST
Reason: SelfAttested